

खतरे में विरासत: विधान के माध्यम से संरक्षण

रेखा शर्मा, शोधार्थी (इतिहास विभाग), एन आई आई एल एम् विश्विधालय, कैथल (हरियाणा)
डॉ अजमेर सिंह पुनिया, प्रोफेसर (इतिहास विभाग), एन आई आई एल एम् विश्विधालय, कैथल (हरियाणा)

सार

जैसा कि ग्रामीणों ने शिकायत की थी, वामन और मोहनबाड़ी, झाड़ली, लूलोध, सुधराना और सुंदेहरी से अन्य मूर्तियां चोरी हो गईं। जिला फरीदाबाद के अहरवां से कई मूर्तियां चोरी हो गई हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि गुडगांव जिले के पुनाहना के पास बिनवा के पुराने टीले से प्राप्त जैन मूर्तियां चोरी हो गईं। कई साल पहले नई दिल्ली के एक आलीशान घर पर छापे के परिणामस्वरूप हरियाणा सहित पड़ोसी राज्यों से एकत्र की गई सैकड़ों कलाकृतियाँ जब्त की गईं।

परिचय
जहां तक गांव के मंदिरों में मूर्तियों का सवाल है, गायब होने वाली मूर्तियों के पीछे एक और कारण यह है कि ग्रामीण इन्हें 'पुरानी' दिखने के कारण पुराने ज़माने का करार देते हैं और मूर्तियों को नदी में विसर्जित करके छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, सोनीपत जिले के बुलंदपुर खीरी गांव में, जब एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाना था, तो सभी मौजूदा पुरानी मूर्तियों को यमुना नदी में विसर्जित कर दिया गया और नई संगमरमर की मूर्तियों ने उनकी जगह ले ली। एक अन्य घटना पर झज्जर गुरुकुल के श्री वृजानंद जी ने प्रकाश डाला, जिन्होंने बताया कि गांव खोखरा-खोत से प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की कई बलुआ पत्थर की छवियों को उनके और झज्जर संग्रहालय के पूर्व कार्यवाहक स्वामी ओमानंद जी ने उन ग्रामीणों से बचाया था, जो उनसे 'छुटकारा' ले रहे थे।

ऐतिहासिक वस्तुओं एवं स्मारकों के सन्दर्भ

ऐतिहासिक वस्तुओं एवं स्मारकों के सन्दर्भ में कानूनी व्यवस्था एवं रूपरेखा की चर्चा के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है जो अगले कुछ पृष्ठों में किया जायेगा। 2006 के बाद से जब हांडा का काम प्रकाशित हुआ था तब से कई छवियां और वास्तुशिल्प टुकड़े उस स्थान से गायब पाए गए थे। ऐसी संभावना है कि उनकी देखभाल की जाएगी और उन्हें किसी संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन इस फील्डवर्क के बाद यह देखा गया कि कई मूर्तियां जिनका पहले हांडा ने उल्लेख किया था, अब चोरी हो गई हैं और तस्करी की गई है। उदाहरण के लिए, मोहनबाड़ी से वामन की एक छवि, जिसे हांडा ने चोरी के रूप में वर्णित किया था, आर्य समाज गुरुकुल संग्रहालय, झज्जर के कब्जे में पाई गई थी। एक और महत्वपूर्ण टुकड़ा जो पहले देखा गया था वह अब उसी गुरुकुल संग्रहालय से गायब हो गया है।¹³ हांडा ने अपनी यात्रा के दौरान कई स्थलों का उल्लेख किया जहां मूर्तियां सामने आई थीं जैसे अंजनथली (पंचाटपस पार्वती की छवि), बादली (जैन मूर्तियां), बुलंदपुर खीरी (मध्यकालीन काल की मूर्तियां), गुज्जर खीरी (बड़ी संख्या में मूर्तियां), हाट (वैकुंठ विष्णु), जिंद (अधूरी जैन छवि), कालका (संतोषी माता और मनसा देवी ने उमा-महेश्वर और अग्नि की मध्ययुगीन छवियों का खुलासा किया), गांव के मंदिर में खूबरू की मूर्तियां) फरल (वास्तुशिल्प टुकड़े)। सोलह वर्षों के अंतराल में हांडा द्वारा उल्लिखित ये मूर्तियां अब उनके द्वारा बताए गए स्थान से गायब हैं। इस प्रकार, ऐतिहासिक वस्तुओं और स्मारकों के सन्दर्भ में कानूनी प्रणाली और ढांचे पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है।

ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक चरण में, 1860 के दशक तक, पुरावशेषों को इंग्लैंड ले जाने की प्रवृत्ति थी, जहां उन्हें या तो ब्रिटिश संग्रहालय या भारत संग्रहालय, दोनों लंदन में रखा जाता था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भी युसुफजई जिले से मिली मूर्तियों को लंदन स्थानांतरित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और उनका मानना था कि कलकत्ता और लाहौर संग्रहालयों के लिए अच्छी मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शित बड़ी संख्या में वस्तुएँ कनिंघम के निजी संग्रह से आई थीं। उनका विश्वास था कि एक जानकार संग्राहक द्वारा निजी संग्रह को संरक्षण और संरक्षण के साधन के रूप में कार्य करने की क्षमता है।

संरक्षण प्रक्रिया के संबंध में, कनिंघम ने 1861 में लॉर्ड कैनिंग को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने समय की मार झेल रहे स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय करने

पर जोर दिया। इससे संरक्षण का सारा काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सौंप दिया गया। आश्चर्य की बात है कि पहले संरक्षण कार्य को एएसआई का प्राथमिक कार्य नहीं माना जाता था और दायित्व स्थानीय सरकारों के लोक निर्माण विभागों पर था।

सरकार की नीति में बदलाव

1870 के दशक से सरकार की नीति में बदलाव आया जहां अब वह प्राचीन वस्तुओं को भारतीय संग्रहालयों में प्रदर्शित करना पसंद करती थी।²⁴ उदाहरण के लिए, अलेक्जेंडर कनिंघम, भरहुत की अधिकांश मूर्तियों को भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में ले गए, जहां उनका दावा था, उन स्थानीय लोगों से बचाया जा सकता है जिन्होंने निर्माण कार्यों के लिए पत्थर का उपयोग किया है।

1947 में, अगला अधिनियम जिसे 'पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947' के रूप में जाना जाता है, 1904 अधिनियम के अतिरिक्त तैयार किया गया था। यह अधिनियम महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था कि कौन सी वस्तुएँ 'प्राचीनता' की श्रेणी में आती हैं। इसने पुरावशेषों के निर्यात के लिए सामान्य नियम और विनियम निर्धारित किए। इस अधिनियम के तहत, महानिदेशक लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी था और उसे यह तय करने का अधिकार था कि कोई वस्तु, वस्तु या चीज़ पुरावशेष है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम था।

1951 में, 'प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम' अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत, सभी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों को, जो पहले "प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904" के तहत संरक्षित किया गया था, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के रूप में फिर से घोषित किया गया था। भाग 'बी' राज्यों के अन्य 450 स्मारक और स्थल भी जोड़े गए।⁴⁵ बाद में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126 के तहत कुछ और पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया। 1958 में, 'प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल' पुरातात्विक अवशेषों और स्मारकों के बेहतर और प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए अवशेष अधिनियम" अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक उत्खननों की सुरक्षा और संरक्षण तथा मूर्तियों, नक्काशी और अन्य समान वस्तुओं की सुरक्षा प्रदान करता है। बाद में इस अधिनियम ने 1951 के अधिनियम को निरस्त कर दिया।

1970 में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण को रोकने और रोकने के साधनों पर जोर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसने कानूनी और नैतिक संग्रह मानकों को कड़ा करने के लिए प्रेरित किया। इस सम्मेलन के अनुच्छेद 7 में कहा गया है।

पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम

भारत में, अगला अधिनियम 'पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम 1972' था, जिसे पुरावशेषों और कला खजानों से युक्त चल सांस्कृतिक संपत्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम ने अंततः 1947 के अधिनियम को निरस्त कर दिया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि इसे लागू करने का कारण यह है कि पिछले अधिनियम में निहित प्रावधान पर्याप्त नहीं थे। कला के खजाने और पुरावशेषों को संरक्षित करने के लिए, तस्करी और धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने के लिए निर्यात के पैटर्न को विनियमित करने के लिए व्यापक कानून बनाने की सख्त जरूरत थी। अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण और लाइसेंसिंग अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है जो पुरावशेषों को रखने या उनका सौदा करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्राधिकरण प्रदान करेंगे। हालाँकि, लाइसेंसधारियों को लाइसेंसिंग प्राधिकारी या सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण के लिए रजिस्टर, रिकॉर्ड और तस्वीरें बनाए रखना आवश्यक था। फिर भी, अनुमति वापस लेने की पूर्ण

शक्ति अभी भी केंद्र सरकार के हाथों में थी और फिर वह पूरी तरह से पुरावशेषों का व्यवसाय करेगी।

उसी वर्ष यानी 1972 में, यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन ने विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा के संबंध में एक विश्व विरासत सम्मेलन आयोजित किया।⁴⁸ इसका प्राथमिक मिशन यह था कि अंतरराष्ट्रीय संधियों के माध्यम से, यह रक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच कानूनी रूप से सहयोग और जागरूकता को बढ़ावा दे सके। दुनिया भर में सार्वभौमिक मूल्य की विरासत। 1972 से अब तक 193 देशों ने इस पर अपनी सहमति दी है। सम्मेलन के अनुच्छेद 4 में कहा गया है,

सम्मेलन ने दुनिया भर में विरासत की रक्षा के सामान्य उद्देश्य और आवश्यकता को दर्शाया। भारत ने 1977 में कन्वेंशन की पुष्टि की। वर्तमान में भारत में 37 स्थल हैं जिन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ऐसे कई संगठन थे जो ऐतिहासिक विरासत की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के विशिष्ट लक्ष्य के साथ भारत में स्थापित किए गए थे। उदाहरण के लिए, 1984 में, भारत के लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी, माधवराव सिंधिया और बी.के. जैसे सदस्यों के साथ ट्रस्ट की पहली गवर्निंग काउंसिल द्वारा गठित INTACH के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और नियम। थापर कुछ नाम बताएं। इस संगठन ने लोगों में अपने समृद्ध ऐतिहासिक अतीत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्मारकों का जीर्णोद्धार, हेरिटेज क्लबों और सोसायटी का गठन, हेरिटेज वॉक जैसे कार्य किए हैं। इसने सैकड़ों स्मारकों का जीर्णोद्धार और संरक्षण किया था जो एएसआई के दायरे से बाहर हैं।

हाल ही में, 2010 में, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष एएमएसआर (संशोधन और मान्यता) अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। प्राथमिक कार्य राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र का प्रबंधन करके स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण शामिल था। प्राधिकरण एक ओर संरक्षित स्मारकों के आसपास निर्माण कार्य की अनुमति देकर समाज की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखता है, और दूसरी ओर स्मारकों की सुरक्षा करता है। यह संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों के वर्गीकरण और ग्रेडिंग के लिए केंद्र सरकार को सुझाव देता है और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा से यह देखा गया कि सत्तारूढ़ सरकार का रवैया विरासत की सुरक्षा के प्रति कमोबेश सहयोगात्मक रहा है। न केवल सरकार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी विभिन्न देशों को समर्थन दे रहे हैं ताकि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कर सकें। दुनिया भर में सरकारें पुरावशेषों और 'देशी खजाने' के प्रति संवेदनशील हो रही हैं और विरासत को उनकी मूल भूमि पर लौटा रही हैं। हालाँकि, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आने वाली पीढ़ियाँ उन अद्भुत स्मारकों और छवियों को देख सकेंगी जो हमारी ऐतिहासिक विरासत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं? क्या विरासत की सुरक्षा के लिए व्यापक परियोजनाओं, जागरूकता कार्यक्रमों या बनाए गए कानूनों के साथ वर्तमान पहल उन्हें प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरह के नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त है?

हमारे स्मारकों और अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए एक समाधान सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करना है जहां स्थानीय समुदायों और ग्रामीणों के बीच जागरूकता पैदा की जा सकती है। यह देखा गया कि न केवल चल कलाकृतियाँ बल्कि स्मारक भी लगातार खतरे में हैं। कई संरचनाएँ जो गाँवों के निकट स्थित हैं, उनमें ग्रामीणों द्वारा घुसपैठ की गई है। ऐसा ही एक उदाहरण दिल्ली के जौंती गाँव में है जहाँ एक मुगलकालीन शिकारगाह (शिकार कक्ष) है। इस स्थल को एएसआई द्वारा संरक्षित स्थल घोषित किया गया था। दौरे के दौरान, यह देखा गया कि पूरी संरचना पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर लिया है और इसे अपने निजी उपयोग के

लिए उपयोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से इसे बचाने के प्रयास में एएसआई ने सीढ़ियों को अव्यवस्थित तरीके से अवरुद्ध करके पहुंच बंद कर दी (चित्र 5.1)।

इसी प्रकार, ऐतिहासिक वस्तुएं, विशेष रूप से छवियां जो समुदायों के कब्जे में हैं, अक्सर पूजा की प्रक्रिया में खराब हो जाती हैं। स्थानीय लोगों से कलाकृतियाँ एकत्र करना और उन्हें संग्रहालयों में स्थानांतरित करना निश्चित रूप से समाधान नहीं है। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि सीमित बुनियादी ढांचे के साथ अधिकांश ऐतिहासिक वस्तुएं संग्रहालयों के भंडारण कक्षों में समाप्त हो जाती हैं और इसलिए, यह अधिक समझ में आता है कि वे सभी वस्तुएं जो समुदायों के कब्जे में हैं, उन्हें उनके पास ही रहना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि समूहों को स्मारकों और कलाकृतियों को संरक्षित करने के तरीकों के बारे में शिक्षित किया जाए ताकि कोई नुकसान न हो।

संदर्भ-ग्रंथ सूची

1. बुहलर, जी. "गरीबनाथ के मंदिर से पेहेवा शिलालेख।" एपिग्राफिया इंडिका 1, (1907): 184-90.
2. बर्गेस, जे., और एच. कूसेंस। उत्तरी गुजरात के स्थापत्य पुरावशेष। लंदन: टी.रूबनेर एंड कंपनी, लिमिटेड, 1903।
3. बर्मन, रॉय जे.जे. "भारत में हिंदू-मुस्लिम समन्वयवाद।" इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 31, संख्या 20 (1996): 1211-1215।
4. चंद्रा, प्रमोद. भारतीय मंदिर वास्तुकला का अध्ययन: 1967 में वाराणसी में आयोजित एक सेमिनार में प्रस्तुत किए गए पेपर, एआईआईएस, 1975।
5. चिटगोपेकर, नीलिमा. शैववाद का सामना: देवता, परिवेश, घेरा। नई दिल्ली: मुंशीराम मनोहरलाल पब्लिशर्स, 2004।
6. कॉर्ट, जॉन. फ्रेमिंग द जिना: नैरेटिव्स ऑफ आइकॉन्स एंड आइडल्स इन जैन हिस्ट्री, दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2010।

पुस्तकें

1. बी. सी. लॉ द्वारा "प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल"- बी. सी. लॉ का कार्य प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो उस संदर्भ को समझने में योगदान दे सकता है जिसमें हरियाणा के पुरातात्विक स्थल विकसित हुए।
2. "इंडियन रॉक आर्ट एंड इट्स ग्लोबल कॉन्टेक्ट" आर. टी. नागर द्वारा संपादित- इस संपादित खंड में भारतीय रॉक कला पर योगदान शामिल है, जो हरियाणा में कलात्मक अभिव्यक्तियों को समझने के लिए प्रासंगिक हो सकता है।
3. रोमिला थापर द्वारा "प्राचीन भारत: प्रारंभिक काल से पहली शताब्दी ईस्वी तक"- रोमिला थापर की व्यापक पुस्तक प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है, जो हरियाणा में ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए एक व्यापक संदर्भ प्रदान करती है।

जर्नल आलेख

1. "हरियाणा में पुरातात्विक अध्ययन: एक समीक्षा" ए.के. सिंह द्वारा- ए.के. सिंह का समीक्षा लेख हरियाणा में पुरातात्विक अध्ययन, प्राचीन पर्यावरण और मानव निर्वाह पैटर्न को समझने के लिए पौधों के अवशेषों की जांच पर केंद्रित है।
2. "हरियाणा में पुरापाषाणकालीन कलाकृतियाँ: एक सिंहावलोकन" आर.एस. नेगी द्वारा- आर.एस. नेगी का हरियाणा में पुरापाषाणकालीन कलाकृतियों का अवलोकन इस क्षेत्र में प्रारंभिक मानव गतिविधियों और उपकरण बनाने की प्रथाओं को समझने में योगदान देता है।
3. "हरियाणा में महापाषाण अंत्येष्टि: एक तुलनात्मक विश्लेषण" आर. के. शर्मा द्वारा- आर.के. शर्मा का लेख हरियाणा में महापाषाणकालीन अंत्येष्टि का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो अंत्येष्टि प्रथाओं और सांस्कृतिक विविधताओं पर प्रकाश डालता है।